न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प चौहटन

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 44/2011

प्रार्थी
मुल्तानसिंह पुत्र बीजराजसिंह
जाति राजपूत निवासी घोनिया
तहसील,चौहटन

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत ढोक
जरिये सरपंच ग्राम
पंचायत ढोक
2.चनणसिंह पुत्र दीपसिंह
जाति राजपूत निवासी
घोनिया तहसील चौहटन

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 निरस्त करने पट्टा संख्या 1 दिनांक 05.12.2009 जो ग्राम पंचायत ढोक द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 चनणसिंह के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः–1. प्रार्थी मय अधिवक्ता श्री सवाई माहेश्वरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित
3. अप्रार्थी संख्या 02 मय अधिवक्ता श्री सुनील के.मेराजा उपस्थित।

निर्णय दिनांक 03.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 चनणसिंह ने सरपंच ग्राम पंचायत ढोक के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम घोनिया बस स्टेशन के पास उसकी पुश्तैनी कब्जा सुदा भूमि आई हुई है। इसलिये पट्टा दिलाने की कृपा करावें। इस पर ग्राम पंचायत ढोक ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 का पुराना कब्जा होना बताते हुए नियम 157(1) के तहत 4550/–' वसूल कर संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.12.2009 के अनुसरण में दिनांक 05.12.2009 को पट्टा संख्या 01/8–9 जारी कर दिया। प्रार्थी ने इस पट्टा की भूमि को अपनी खातेदारी भूमि बताते हुए गलत व नियम 157 के विरूद्ध होने से अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी इस पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ जारी किये एंव ग्राम पंचायत ढोक से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किय।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थी संख्या 02 को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये मगर कोई जवाब नही किया गया, फलस्वरूप अप्राथी संख्या 02 का जवाब बंद किया गया।
4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट चौहटन में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एंव उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी सं 02 एंव उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।
5. हमने उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की। ग्राम पंचायत ढोक से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत ढोक द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 चनणसिंह के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के खर्च के 25–रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25/– जमा कराने चाहिये। ग्राम पंचायत ढोक की पत्रावली में इस मामले में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा राशि जमा कराने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है। जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लॉज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगीं। पत्रावली पर मौका रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध है,मगर मौका रिपोर्ट में भूखण्ड पर अप्रार्थी का कितने वर्षो से कब्जा है, एंव अप्रार्थी का मकान बना हुआ है,या नहीं? इसका अंकन नहीं किया गया है। नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक से पूर्व समिति में अन्तिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्ररूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आंमत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थीं। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है मगर नोटिस की प्रतियां किस–किस स्थान पर चस्पा की गयी है इसका अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी चनणसिंह को यह पट्टा नियम 157(1) क तहत जारी किया गया है। नियम 157(1) पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत जहॉ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो नियम 157(1)(क)के अनुसार 50 वर्षो से अधिक पूर्व में निर्मित मकानो हेतु

जिला कलक्टर
बाड़मेर

100/– एंव नियम 157(1)(ख) के तहत इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/– लेकर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। वादग्रस्त पट्टा 4550/–की राशि जमा कर जारी करना बताया है और ग्राम पंचायत की पत्रावली के कार्यवाही विवरण दिनांक 05.10.09 में 1/– प्रति वर्ग फीट की राशि लेकर पट्टा आवंटन करने का प्रस्ताव संख्या 02 पारित करना बताया है। इस तरह की राशि लेकर नियम 158 भूमियों का कमजोर वर्गो का आवंटन के तहत नियम 158(1)में 300 वर्ग गज तक को इस नियम (2)क,ख,ग,के तहत 2/–,5/– एंव 10/– लेकर पट्टा आवंटन करने का प्रावधान है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा में अलग अलग नियम का हवाला होने से यह स्पष्ट नहीं है कि किस नियम के तहत पट्टा जारी किया गया है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी चन्दनसिंह द्वारा न्यायालय सिविल जज(क.ख.) बाड़मेर मे भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने व स्थायी निषेधाज्ञा वाद संख्या 76/11 प्रस्तुत किया गया यह वाद दिनांक 20.12.12 को खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत पटवारी हल्का की ढोक की फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि चौहटन से केलनोर जाने वाली सड़क पर विवादित स्थल पर प्रार्थी मुल्तानसिंह वगैरा की दुकाने निर्मित होना और यह भूमि मौजा घोनिया के खसरा नम्बर 354/121 रकबा 6.09 बीघा में स्थित होना बताया है तथा मुल्तानहिह वगैरा की दुकानो के पीछे दक्षिण की ओर आबादी भूमि खसरा नम्बर 365/123 में स्थित होना और दुकानों के पीछे भूमि खाली होना बताया है। इसी प्रकार दुकानों के पूर्व में भी आबादी भूमि खसरा नम्बर 365/123 में गेमरसिंह पुत्र तगसिंह व धनसिंह पुत्र रिड़मलसिंह की दुकाने निर्मित होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध्ध सरंपच ग्राम पंचायत ढोक के बयान नामा अनुसार विवादित भूमि में दुकाने एंव चार दीवारी का निर्माण मुल्तानसिंह पुत्र बीजराजसिंह निवासी घोनिया द्वारा करना बताया है। है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 354/121 व 365/123 खातेदारी की भूमि है। आबादी की भूमि नहीं है। खातेदारी भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा नियमितिकरण करने अथवा आवंटन का अधिकार नहीं है। जिससे अप्रार्थी संख्या 02 नियम 157(1) अथवा नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करन की पात्रता नहीं रखता है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजो एंव ग्राम पंचायत की पत्रावली से यह स्पष्ट है ग्राम पंचायत ढोक ने पट्टा जारी करने से पूर्व भूखण्ड की बारे में विधिवत जॉच नहीं कर,अप्रार्थी संख्या 02

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने एंव त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ढोक द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 चनणसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01/8–9 दिनांक 05.12.2009 को निरस्त किया जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प चौहटन में आज दिनांक 03.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर